न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–गंगापुर, जिला भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी : श्री सी.एल.शर्मा आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :–08 / 2016
अन्तर्गत धारा :–75 एल आर एक्ट

उनवान प्रकरण

श्री भीमराज पुत्र गणेश जाट निवासी खण्डेल तहसील रेलमगरा,जिला राजसमन्द (राज.)

–– अपीलार्थी

बनाम

1– उदयराम पिता बद्रीलाल जाट निवासी कांगणी, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा

2– श्रीमती घीसी बाई पुत्री बद्रीलाल जाट निवासी कांगणी, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा

3– श्रीमती मोहनी देवी पत्नी बद्रीलाल जाट निवासी कांगणी, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा

–– प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1014 वाके ग्राम कांगणी, फैसल दिनांक 2–12–2016 ग्राम पंचायत कांगणी, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा

उपस्थित :–

श्री महेश दाधीच – अधिवक्ता अपीलार्थी

श्री रितेश सुराणा –– अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

:: आदेश ::

दिनांक : 13–09–2019

1– अपीलार्थी श्री भीमराज पुत्र गणेश जाट निवासी खण्डेल तहसील रेलमगरा,जिला राजसमन्द ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 15–12–2016 को एक अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कांगणी, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में खातेदार तुलसी पुत्री गणेश जाट निवासी खण्डेल के नाम पर खाता संख्या 140 मं वर्णित हाल आराजी संख 1074, 1075, 1512, 1513 कुल किता 4 रकबा 3.75 है0 भूमि दर्ज थी। खातेदार तुलसी का 16–8–2016 को निधन हो गया। जिसका अपीलार्थी एक मात्र उत्तराधिकारी है, जिसनें स्वंय के पक्ष मे नामान्तकरण खोले जाने हेतू 15–9–2016 को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्रा0पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी, भूअनि एवं प्रत्यर्थीगणों ने आपसी मिलाभगति करके आनन फानन में ग्राम पंचायत की कोरम 2–12–16 को आयोजित करा, उक्त नामान्तरण प्रत्यर्थीगणों के पक्ष में फैसल करा दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करते हुए मुख्यरूप से कथन किया कि अपीलार्थी मृतक खातेदार का सगा भाई होकर मृतका का सबसे नजदीकी वारिस है। हिन्दू उत्तराधिकार अधि.

की धारा 15 के अनुसार उक्त सम्पति तुलसी पुत्री गणेश जाट की व्यक्तिगत हैसियत से प्रापत हुई ताि तुलसी ने अपने जीवनकाल में अपने पिता की वल्दियत लगाती रही है। निजी हैसियत से प्राप्त सम्पति पर पति के उत्तराधिकारियों का कोई हक एवं अधिकार नहीं बनता है। तुलसी के पक्ष में कोई विरासत का नामान्तरण ही नहीं खुला है, उसे चतरभुज से कोई सम्पति विरासत में प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी पटवारी, भूअनि ने आपसी मिलाभगति से प्रत्यर्थीगण के पक्ष में नामान्तकरण भर कर फैसल करा दिया, जिससे प्रत्यर्थीगणों के कोई हक एवं अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। अपीलार्थी को आवेदन होते हुए भी उसे विधिवत सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी मृतका का सगा भाई है। हिन्दू उतराधिकार अधि. की धारा 15(2) के प्रावधानानुसार अपीलार्थी के पक्ष में नामा. भरा जाना चाहिए। अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 135(2) के तहत विवादित नामान्तरणों के निस्तारण की शक्तियॉ तहसीलदार में निहीत होने से उक्त नामान्तरण का निस्तारण तहसीलदार से करवाया जाना चाहिए। इसके विपरीत ग्राम पंचायत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालना नहीं कर अपीलाधीन नामा. फैसल कर गंभीर कानूनी भूल की है। अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि मृतक खातेदार तुलसी पुत्री गणेश जाट को उक्त आराजीयात यदि बक्षीस/दान से प्राप्त हो भी गई है तो भी वह उसकी निजी सम्पति हो गई है। विवादित आराजीयात तुलसी को चतरभुज से विरासत से प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त आराजीयात पर चतरभुज के वारिसान का कोई हक नहीं बनता है। तुलसी कभी भी चतरभुज की पत्नी नहीं रही है। यदि तुलसी कभी चतरभुज की पत्नी रही होती तो चतरभुज के निधन के बाद खुले नामान्तकरा में बद्रीलाल के साथ तुलसी का 1/2 हिस्सा दर्ज होता। ग्राम पंचायत की नियमित बैठके भी सामान्यतः प्रतिमा 05 एवं 20 तारीख होती है, जिसके विपरीत मौजूदा नामान्तरण 02–12–16 को फैसल हुआ है। भूअनि ने अपनी जॉच रिपोर्ट में मृतक चतरभूज ने बद्रीलाल को दत्तक रखे जाने का नोट अंकित किया। किन्तु ऐसा कोई गोदनामा भी अभिलेख पर मौजूद नहीं है। न ही चतरभूज की विरासत का नामान्तरण कभी भी मृतका तुलसी के नाम बतौर पत्नी के खुला है। इस प्रकार ग्राम पचायत एवं राजस्व प्राधिकारियों ने सभी अहम तथ्यों की अनदेखी करते हुए उक्त नामान्तरण को फैसल करने में महत्वपूर्ण कानूनी भुल की है। अतः अपील अपीलार्थी की स्वीकार फरमाई जाकर मृतक तुलसी का अपीलाधीन नामान्तरण अपीलार्थी के नाम पर दर्ज किये जावें।

2– प्रकरण अन्दर समयावधि, क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थीगणों की ओर से जरिये अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री रितेश सुराणा ने अपनी उपस्थिति दी। उभयपक्षों को सुना गया। रेकार्ड पर उपलब्ध दस्तोवेजों का भली भांति अध्ययन एवं मनन किया गया। बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने अपना अपना पक्ष रखा।

उपखण्ड अधिकारी

3— अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपनी बहस में उन्हीं तथ्यों के आधार पर अपील अपीलार्थी मंजूर किये जाने का अनुरोध किया। अपीलार्थी ने अपील मेमो के साथ नकल जमाबन्दी, नकल नामान्तरण संख्या 1014, नामा0 संख्या 181, मिलान क्षैत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2028 की प्रमाणित प्रतियॅा भी पेश की। इसके विपरीत रेस्पोडेण्ट पक्ष ने ने श्री मांगीलाल रेगर, भैरूलाल रेगर, रतनलाल जाट, शंकरलाल जाट, बालुराम जाट के शपथपत्र प्रस्तुत किये। शोक पत्रिका कांगणी, शोक पत्रिका खण्डेल, नामान्तकरण संख्या 220 पर तुलसी की अंगुठा निशानी वाला प्रस्तुत किया। इसी के साथ अधिवक्ता प्रर्त्थीगण ने तुलसी बाई जाट का मृत्यु प्रमाणपत्र, पीपीओ कॉपी, राशनकार्ड की प्रति पेश किये। जिनका ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया।

4— अपीलार्थी का पक्ष अपनी बहस में मुख्य तर्क यह रहा हकि मृतक तुलसी देवी गणेश की पुत्री थी। उसने कभी भी अपनी वल्दियत में अपने पति के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। रेकार्ड पर कोई गोदनामा चस्पा नहीं है। गोदनामा/गोद का निर्णय ग्राम पंचायत तय नहीं कर सकती है। विवादित आराजीयात तुलसी को बख्सीस से प्राप्त हुई है, जो उसकी निजी एवं स्व अर्जित सम्पति हो गई है। चतुर्भूज तुलसी का पति कभी नहीं रहा है। तुलसी ने अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में सदैव ही अपने पिता गणेश की वल्दियत का उपयोग किया है। धारा 6 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत सप्तपदी से फेरे लिये बिना किसी भी महिला को पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। चतरभूज के पूर्व पत्नी होते हुए तुलसी पत्नी कैसे हो सकती है। अपीलार्थी मृतका का सगा भाई है। दोषी पटवारी, भ अ नि के खिलाफ कार्यवाही की जावें एवं अपील अपीलार्थी मंजूर की जावें।

5— इसके विपरीत विपरीत अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का अपनी बहस में मुख्य कथन रहा है कि तुलसी चतुर्भूज की पत्नी नहीं रही है। इस पर पुरी बहस टीकी हुई है। रेस्पोडेण्ड के विद्धान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान बखसीस के स्टाम्प की ओर आकृषित करते हुए अवगत कराया कि मेरी पत्नी तुलसी को सिलिंग में जा रही थी, इसलिए गिफ्ट की । शोक संदेश में भी तुलसी का पत्नी होने सम्बधी दोनों पत्रिकाओं में उल्लेख है। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 15 के तहत निरवसीयती की मृत्यु हुई है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

6— उपरोक्त तमाम विषलेषण एवं दस्तावेजों की रोशनी में हम प्रत्यर्थीपक्ष से के इस तर्क से सहमत है कि तुलसी को सिलिंग में जा रही जमीन को गिफ्ट की गई है। नामान्तरण इस फिजिकल प्रोसस है। जिसमें पक्षकारों के अन्तिम हितों का निर्धारण नहीं हो सकता है। अपीलार्थी की ओर से जो तर्क एवं दस्तावेजाद प्रस्तुत किये गये है, उनका परीक्षण एवं निस्तारण नियमित वाद कार्यवाही में ही संभव है। उक्त अपील मेमों के अनेक प्रकार के जटिल एवं कानूनी बिन्दूओं को उभयपक्षों ने उठाया है, जिसका निस्तारण प्रकरण के मौजूदा स्तर पर किया जाना संभव नहीं है। न ही उक्त कानूनी बिन्दूओं का निस्तारण प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने पर तहसीलदार द्वारा किया जाना संभव है। उभय पक्षकारान अपने अपने हित एवं अधिकारों की रक्षा हेतू सक्षम

प्रकरण संख्या :–08/2016 अन्तर्गत धारा :–75 एल आर एक्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय में कार्यवाही हेतू स्वतन्त्र है। अपील अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है। अपील मेमों में उठाये गये कानूनी बिन्दूओं का निस्तारण नामान्तरण के माध्यम से किया जाना सभंव नहीं होने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज किये जाने योग्य है।

::: आदेश :::

अतः अपील अपीलार्थी विरूद्ध प्रत्यर्थीगण बसिलसिले अपील नामान्तरण संख्या 1014 वाके ग्राम कांगणी, ग्राम पंचायत कांगणी, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 2–12–2016 को अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। उक्त अपील हेतू सुनवाई में व्यतीत समयावधि को पक्षकार की ओर से प्रस्तुत नये वाद कार्यवाही में सम्मिलित किये जाने की आज्ञा दी जाती है। पक्षकार अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

आदेश आज दिनांक 13–09–2019 को मेरे निर्देशन ने लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
गंगापुर